



Neutral Citation No. - 2026:AHC:167294

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 859 वर्ष 2026

अंशु

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : गौरव मिश्रा, शिव शरण त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी पक्षकारों के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान आवेदन वाद संख्या 11558 सन् 2023, राज्य बनाम अंशु एवं अन्य, जो मुकदमा अपराध संख्या 65 सन् 2022 से उद्भूत है, धारा 174-ए आई.पी.सी., थाना गंज डुंडवारा, जनपद कासगंज, की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आरोप-पत्र संख्या 79 सन् 2022 दिनांक 14.06.2022, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कासगंज

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा पारित दिनांक 01.03.2023 का संज्ञान एवं समन आदेश तथा उससे परिणामी संपूर्ण कार्यवाही भी सम्मिलित है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित कार्यवाही पूर्णतः अधिकारिता-विहीन है और विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 174-ए आई.पी.सी. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना प्रभारी द्वारा दिनांक 02.04.2022 को स्वयं दर्ज की गई, जबकि धारा 195(1)(क) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अपेक्षित संबंधित लोक सेवक द्वारा कोई लिखित शिकायत नहीं की गई थी। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया और विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 195 दं.प्र.सं. में निहित वैधानिक प्रतिबंध पर विचार किए बिना यांत्रिक रूप से दिनांक 01.03.2023 को संज्ञान ले लिया।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विधि के अनुसार न तो कोई समन और न ही कोई जमानती वारंट, गैर-जमानती वारंट अथवा धारा 82 दं.प्र.सं. के अंतर्गत उद्घोषणा कभी आवेदकों को तामील कराई गई। आवेदकों को आक्षेपित कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें इसके संबंध में केवल नवंबर, 2025 में जानकारी हुई। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आक्षेपित संज्ञान आदेश में न तो दंडात्मक प्रावधान का उल्लेख है और न ही अभियुक्त व्यक्तियों के नामों का, जो न्यायिक विवेक के पूर्णतः प्रयोग न किए जाने को दर्शाता है।

5. यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन का मूल आधार ही अवैध है, क्योंकि सक्षम लोक सेवक की लिखित शिकायत के बिना पुलिस के कहने पर धारा 174-ए आई.पी.सी. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती थी। अतः कार्यवाही अपने प्रारंभ से ही दूषित है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकृष्ट किया कि आवेदकों को पूर्व में मुकदमा अपराध संख्या 182 सन् 2021, थाना पटियाली, जनपद कासगंज तथा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियों में भी अभियुक्त बनाया गया था, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा पहले ही निरस्त किया जा चुका है। यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 174-ए आई.पी.सी. के अंतर्गत वर्तमान अभियोजन उन्हीं आपराधिक मामलों से उत्पन्न परिणामी कार्यवाही मात्र है और उसी सिद्धांत के आधार पर इसे भी निरस्त किया जाना चाहिए।

7. अपने तर्कों के समर्थन में आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा आवेदन धारा 482 संख्या 18403 वर्ष 2021 (रामेंद्र शर्मा एवं 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक 09.09.2022 को दिए गए निर्णय, इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 12772 वर्ष 2020 (योगेश्वर सूद एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिए गए निर्णय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के दौलत राम बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1962 एससी 1206 के निर्णय पर भरोसा किया।

8. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक बलपूर्वक प्रक्रिया जारी किए जाने के बावजूद न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे और इसलिए धारा 174-ए आई.पी.सी. के अंतर्गत अभियोजन विधिवत प्रारंभ किया गया है। तथापि, विद्वान ए.जी.ए. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों में प्रतिपादित विधिक स्थिति पर विवाद नहीं कर सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है।

10. धारा 174-ए आई.पी.सी. धारा 82 दं.प्र.सं. के अंतर्गत जारी उद्घोषणा के अनुसरण में निर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में विफल रहने के लिए दंड का प्रावधान करती है। तथापि, धारा 172 से 188 आई.पी.सी. के अंतर्गत आने वाले अपराधों का संज्ञान लेने की प्रक्रिया विशेष रूप से धारा 195(1)(क) दं.प्र.सं. द्वारा नियंत्रित होती है, जो न्यायालय को संबंधित लोक सेवक अथवा ऐसे अन्य लोक सेवक, जिसके वह प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ हो, द्वारा की गई लिखित शिकायत के अतिरिक्त संज्ञान लेने से रोकती है।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **दौलत राम बनाम पंजाब राज्य (एआईआर 1962 एससी 1206)** में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि जहां विधि सक्षम लोक सेवक द्वारा लिखित शिकायत को अनिवार्य बनाती है, वहां पुलिस रिपोर्ट अथवा आरोप-पत्र के आधार पर लिया गया संज्ञान पूर्णतः अधिकारिता-विहीन होता है और संपूर्ण कार्यवाही प्रारंभ से ही दूषित हो जाती है।

12. इस न्यायालय ने **रामेंद्र शर्मा एवं अन्य (उपरोक्त)** में धारा 174-ए आई.पी.सी. तथा धारा 195 दं.प्र.सं. के प्रावधानों और माननीय उच्चतम न्यायालय के **दौलत राम (उपरोक्त)** के निर्णय पर विचार करने के पश्चात यह प्रतिपादित किया है कि सक्षम लोक सेवक की लिखित शिकायत के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट और उसके परिणामस्वरूप धारा 174-ए आई.पी.सी. के अंतर्गत प्रस्तुत आरोप-पत्र विधि की दृष्टि से अस्थिर हैं और निरस्त किए जाने योग्य हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. इसी सिद्धांत को इस न्यायालय ने योगेश्वर सूद एवं अन्य (उपरोक्त) में भी दोहराया, जिसमें यह कहा गया कि धारा 195 दं.प्र.सं. में निहित वैधानिक प्रतिबंध को देखते हुए धारा 174-ए आई.पी.सी. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण प्रथम दृष्टया विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

14. वर्तमान मामले में अभिलेख से यह स्पष्ट है कि धारा 174-ए आई.पी.सी. के अंतर्गत दिनांक 02.04.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना प्रभारी द्वारा स्वयं दर्ज की गई थी। धारा 195(1)(क) दं.प्र.सं. के अनुसार अपेक्षित सक्षम लोक सेवक द्वारा की गई कोई लिखित शिकायत अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर प्रारंभ किया गया, जिसके पश्चात आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया और दिनांक 01.03.2023 को संज्ञान आदेश पारित किया गया।

15. जब धारा 195 दं.प्र.सं. में निर्धारित अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया है, तब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट के आधार पर विधि सम्मत रूप से संज्ञान नहीं ले सकते थे। अतः आक्षेपित संज्ञान आदेश अंतर्निहित अधिकारिता के अभाव से ग्रस्त है।

16. उपर्युक्त के अतिरिक्त, दिनांक 01.03.2023 का संज्ञान एवं समन आदेश न्यायिक विवेक के प्रयोग को प्रदर्शित नहीं करता है। आदेश में न तो दंडात्मक प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है और न ही अभियुक्त व्यक्तियों के नामों का उल्लेख है। यह एक संक्षिप्त एवं यांत्रिक आदेश है, जिसे विधि की दृष्टि से कायम नहीं रखा जा सकता।

17. धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत इस न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता का उद्देश्य न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना तथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना है। चूंकि संपूर्ण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियोजन धारा 195 दं.प्र.सं. के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत प्रारंभ की गई कार्यवाही पर आधारित है, अतः आपराधिक कार्यवाही को जारी रहने देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

18. फलतः, आवेदन सफल होता है और स्वीकार किया जाता है।

19. वाद संख्या 11558 सन् 2023 (राज्य बनाम अंशु एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 65 सन् 2022 से उद्भूत है, धारा 174-ए आई.पी.सी., थाना गंज डुंडवारा, जनपद कासगंज, की संपूर्ण कार्यवाही, जिसमें आरोप-पत्र संख्या 79 सन् 2022 दिनांक 14.06.2022, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा पारित दिनांक 01.03.2023 का संज्ञान एवं समन आदेश तथा उससे संबंधित सभी परिणामी कार्यवाहियां सम्मिलित हैं, एतद्वारा निरस्त की जाती हैं।

20. तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10 अगस्त, 2026

अकबर

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)